

सेवा में,

वनमंडल अधिकारी,
सिरसा ।

विषय :- Diversion of 0.0157 hect. Of forest land for access to M/s Satyam Dhaba along new PWD (B&R) Road KM 251-979 (previously NH-09) L-side at village Bajekan under forest division Sirsa

महोदय जी,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध से आग्रह है कि पूर्व में फाइल नंबर 09 HRB/75/2014 के द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी सत्यम ढाबा को प्रधान सचिव (वन) हरियाणा सरकार सिविल सचिवालय चंडीगढ़ द्वारा Diversion of 0.150 Hect. वन भूमि के उपयोग हेतु अस्थायी सैद्धांतिक स्वीकृति शर्तों सहित दी गई थी जिसमें 24 बड़े वक्ष बाधक थे जो कटवाए जाने थे परन्तु उसी समय नेशनल हाईवे बाई पास निकलने के कारण सत्यम ढाबा नेशनल हाईवे नंबर 09 से कट कर पी डब्ल्यू डी बी एंड आर रोड पर आ गया जिसमें नेशनल हाईवे के नियमों के अनुसार जो सर्विस रोड बननी थी वो अब नहीं बनाई जाएगी इस कारण सत्यम ढाबा ने 0.150 हेक्टेयर सुरक्षित वन भूमि बचाने व 24 बड़े वक्ष कटने से बचाने के लिए प्रधान सचिव वन हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव राशि नहीं भरी व सत्यम ढाबा बनने से पहले 15 फीट का कच्चा रास्ता जो कृषि भूमि के लिए उपयोग किया जाता था वही 15 फीट का कच्चा रास्ता आज तक सत्यम ढाबा के लिए प्रयोग किया जा रहा है अब यह क्षेत्र एक्सटेंडेड कमेटी एरिया के अंतर्गत आ गया है

अंत महोदय से निवेदन है कि 0.150 हेक्टेयर सुरक्षित वन भूमि बचाने व 24 बड़े वक्ष कटने से बचाने के लिए नया प्रस्ताव जो कि 0.0157 हेक्टेयर वन भूमि का है को स्वीकृत कराने का कष्ट करे ।

R- 63

Date = 11/04/2022

for
11/4/22

निर्मला देवी कौरलया देवी
प्राथी